



(राजस्व वाद संख्या :- 152/2017 अनवान नसीबकौर बनाम राजमन्दरसिंह)

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6-7, जान्वा दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीलीबंगा न्यायालय अधिकारी :- अमीता विश्नोई आर.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 152/2017

1. नसीब कौर धर्मपत्नी स्व. श्री सुखम सिंह
2. गुरजण्ट सिंह } पुत्रगण स्व. श्री सुखम सिंह } जाति जटसिख, निवासी चक सदासिंह,
3. जगतार सिंह } वाला, तहसील पीलीबंगा, जिला
4. जलन्धर सिंह } हनुमानगढ़।
5. गुरविन्द्र कौर (पुत्री स्व. श्री सुखम सिंह) धर्मपत्नी श्री बलविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी चक 36 एफ, श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर।

- - वादीगण

-:: बनाम ::-

- 1 राजमन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री रणजीत सिंह
- 2 नक्षत्र सिंह } पुत्रगण श्री राजमन्द्रसिंह
- 3 नाजम सिंह }
- 4 कुलविन्द्र कौर धर्मपत्नी स्व. श्री गुरदास सिंह पुत्र स्व. श्री रणजीत सिंह
- 5 उदय सिंह } पुत्रगण स्व. श्री गुरदास सिंह पुत्र स्व. श्री रणजीत सिंह
- 6 रमनदीप सिंह }
- जाति जटसिख निवासी चक सदासिंह वाला, तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
- 7 सुखवीर कौर (पुत्री स्व. श्री रणजीत सिंह) धर्मपत्नी श्री गुरदीप सिंह जाति जटसिख निवासी लोहगढ तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरियाणा)।

- - असल प्रतिवादीगण

- 8 जसवन्त सिंह } पुत्रगण स्व. श्री कपूर सिंह जाति जटसिख निवासी चक सदासिंह
- 9 हरबंस सिंह } वाला तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़।
- 10 गुरसेवक सिंह } पुत्रगण श्री हरदीप सिंह जाति जटसिख निवासी चक सदासिंह वाला
- 11 काहन सिंह } तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़।
- 12 निर्मल सिंह } पुत्रगण श्री कुलदीप सिंह जाति जटसिख निवासी चक सदासिंह वाला
- 13 जसविन्द्र सिंह } तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़।
- 14 सुखजीत कौर धर्मपत्नी श्री हरदम सिंह जाति जटसिख निवासी चक सदा सिंह वाला तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़।
- 15 कर्मजीत कौर धर्मपत्नी श्री अनोख सिंह जाति जटसिख निवासी चक सदासिंह वाला तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़।
- 16 प्रकाश कौर (पुत्री स्व. श्री गुरनाम सिंह) धर्मपत्नी श्री गुरदीपसिंह जाति जटसिख निवासी रायके कलां, तहसील व जिला बठिण्डा (पंजाब)।
- 17 जसकरण सिंह } पुत्रगण श्री शीतल सिंह (माता स्व. श्रीमति गुरदीप कौर पुत्री स्व.
- 18 बलकरण सिंह } श्री गुरनाम सिंह) जाति जटसिख निवासीगण जण्डवाला सिखान, तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ़।
- 19 कृष्ण कौर (पुत्री स्व. श्री गुरनाम सिंह) धर्मपत्नी श्री जगतार सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
- 20 गुरप्रीत कौर } पिसरान श्री कुलविन्द्र सिंह (माता स्व. श्रीमति लखवीर कौर पुत्री स्व.
- 21 सुखप्रीत कौर } श्री गुरनाम सिंह) जाति जटसिख निवासीगण प्रतापपुरा (कालीरावण),
- 22 नवसंगीत सिंह } तहसील सादूलशहर जिला श्रीगंगानगर।
- 23 बुधराम सिंह } पिसरान स्व. श्री आत्मा सिंह जाति जटसिख निवासी सदासिंह चक
- 24 राजमन्द्र सिंह } तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
- 25 जसपाल सिंह }



लगातार 2

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा



- 26 जसवीर सिंह पुत्र श्री उगर सिंह जाति जटसिख निवासी सदासिंहवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
- 27 ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा पीलीबंगा जरिये शाखा प्रबन्धक तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
- 28 स्टेट बैंक ऑफ पटियाला शाखा पीलीबंगा जरिये शाखा प्रबन्धक तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
- 29 तहसीलदार (राजस्व), पीलीबंगा, तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

— — तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 आर.टी.ए. बाबत घोषणा, विभाजन एवम् स्थाई निषेधाज्ञा

—:: निर्णय ::—

दिनांक :-

वादीगण की ओर से श्री हरजिन्द्र सिंह रमाणा अधिवक्ता एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 7 की ओर से श्री मदनलाल पारीक अधिवक्ता व प्रतिवादी सं. 27 की ओर से श्री करणी सिंह राठौड़ व राजपैरोकार इस वाद में आज दिनांक को अमिता बिश्नोई उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर प्रकरण में तनकी नम्बर 1 व 2 का निर्णय वादीगण के विरुद्ध होने व तनकी नम्बर 3 व 4 का निर्णय प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के विरुद्ध होने से तथा वाद पत्र में प्रस्तुत दस्तावेजात में चक 8 पी.बी.एन. के भूमि के सम्बंध में इस न्यायालय में पूर्व में निर्णित वाद संख्या 83/2000 में पारित निर्णय दिनांक 31.10.2002 के विरुद्ध माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ में प्रस्तुत अपील संख्या 150/2002 में पारित निर्णय दिनांक 20.12.2003 की पूर्ण पालना हो चुकी है जिसके अनुसार ही वर्तमान राजस्व अभिलेख संधारित है, चूंकि जिस भूमि के सन्दर्भ में अपीलीय न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय पारित किया जा चुका है शेष भूमि के सन्दर्भ में भी इस न्यायालय में पूर्ववर्ति वाद संख्या 160/2014 में दिनांक 10.07.2014 को निर्णय पारित किया जा चुका है निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न वाद है जिसके सन्दर्भ में भी पक्षकारान द्वारा यह सिद्ध नहीं किया गया कि पूर्ववर्ति आदेश अन्तिम है अथवा किसी अपीलीय न्यायालय में कोई अपील प्रस्तुत की गई है। इस कारण उक्त वाद पत्र में वर्णित भूमि के सन्दर्भ में पूर्व में भी निर्णय होने के कारण वर्तमान में उसी भूमि का पुनः निर्णय किया जाना न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है।

पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ में प्रस्तुत अपील संख्या 150/2002 में पारित निर्णय दिनांक 20.12.2003 इस न्यायालय में पूर्ववर्ति वाद संख्या 160/2014 में दिनांक 10.07.2014 को निर्णय के अवलोकन से सिद्ध होता है कि उक्त वाद में वर्णित भूमि के सम्बंध में खातेदारी अधिकारों के सम्बंध में पक्षकारान के मध्य पूर्व में निर्णय होने के कारण वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम नेक नियती (Clean Hand) से पेश नहीं किये वाद वादी व प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम को वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाता है। यदि उभयपक्ष अपनी खातेदारी भूमि का धारा 53 आर.टी.ए. के तहत विभाजन करवाना चाहते हैं, तो नियमानुसार सक्षम न्यायालय में पुनः वाद प्रस्तुत करने हेतु स्वतन्त्र रहेंगे।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 10/11/2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(अमिता बिश्नोई)

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा